फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत **अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू** मुकाम झुन्झुनू

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, श्री महेश कुमार, झुन्झुनूं

बनाम

1. श्री संजय कुमार पुत्र श्री मनफुल सिहं, मै0 चौधरी मेडिकल सेन्टर सोप नं. 24 रेल्वे स्टेशन झुंन्झुनूं
2. श्री कमल चन्द अग्रवाल पुत्र श्री बिलासराय अग्रवाल गाडिया भवन के पीछे गणेश मन्दिर के पास झुन्झुनूं।
3. श्री संजय कुमार सेठी पुत्र श्री झुमरमल सेठी बी.4बी. कीर्ती नगर टोंक रोड वार्ड नं. 4 जयपुर।
4. श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल पुत्र मालीराम अग्रवाल 71 विष्णुपुरी जगतपुरा रोड मालवीय नगर जयपुर।
5. श्रीमती सुमित्रा अग्रवाल मै0 रेफेलाईट इण्डस्ट्रीज एच 1–825 रीको इण्डस्ट्रीयल एरीया सीतापुरा जयपुर।

मुकदमा किस्म :– **खाद्य सुरक्षा fssai 2006** मुकदमा नम्बर :– 01/17

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07.04.2017	आज यह पत्रावली खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री महेश कुमार द्वारा प्रस्तुत करने पर पेश हुई। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। अभियुक्त विक्रेता/मालिक को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत जरिये नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 04.05.2017 को पेश हो। अति. जिला कलक्टर झुन्झुनू	
4.5.17	पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त उपस्थित। अभियुक्त ने नोटिस तामिल होकर प्राप्त। पत्रावली वास्ते जवाब। बहस दिनांक हेतु 31.5.17 को पेश हो। अति. जिला कलक्टर झुन्झुनू	संजयकुमार
31.5.17	पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त उपस्थित। अभियुक्त का नोटिस तामिल होकर प्राप्त। पत्रावली वास्ते जवाब/बहस दिनांक हेतु 30.6.17 को पेश हो। अति. जिला कलक्टर झुन्झुनू	
30.6.17	पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त उपस्थित। पत्रावली वास्ते जवाब/बहस दिनांक 24.7.17 को पेश हो। अति. जिला कलक्टर झुन्झुनू	संजयकुमार

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.04.08 18:18:47 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
31.3.2022		

पत्रावली पेश हुई। आवेदक उपस्थित। अनावेदकगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। मैने खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एव नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2) (II) के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं विद्वान अधिवक्ता अनावेदकगण की ओर से प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र एवं दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया।

अधिवक्ता अनावेदक/अभियुक्त संख्या 1 का कथन है कि अनावेदक संख्या 1 अनावेदक संख्या 2 के मेडिकल स्टोर चौधरी मेडिकल स्टोर पर बतौर कर्मचारी नियुक्त है। अनावेदक संख्या 2 ने अनावेदक संख्या 3 से जरिये बिल खाद्य/पेय पदार्थ ग्लूकोज–डी सीलबन्द खरीदे तथा सीलबन्द ही बेचान कर रहा था। जिसका अनावेदक संख्या 2 ने अनावेदक संख्या 3 से प्राप्त पक्का बिल प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उसे धारा 26 (2) (II) का दोषी नहीं माना जाये।

अनावेदक सख्यां 3 ने अनावेदक संख्या 4 से प्राप्त पक्का बिल प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उसे धारा 26 (2) (II) का दोषी नहीं माना जाये। अनावेदक सख्यां 4 ने अनावेदक संख्या 5 से प्राप्त पक्का बिल प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उसे धारा 26 (2) (II) का दोषी नहीं माना जाये।

हस्तगत प्रकरण प्रकरण में खाद्य विश्लेषक राज जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल.एस./2847/एक्ट/2016/524/ दिनांक 18.10.2016 के अनुसार खाद्य/पेय पदार्थ ग्लूकोज–डी मिस ब्रांण्डेड पाया गया है। जो एफ.एस.एस.एस.ए की धारा 26 की उपधारा (2) (II) के उल्लंघन में आता है। चूँकि अनावेदक संख्या 1 अनावेदक संख्या 2 के मेडिकल स्टोर चौधरी मेडिकल स्टोर पर बतौर कर्मचारी नियुक्त है। अधिवक्ता अनावेदक संख्या 2 ने अनावेदक संख्या 3 से खाद्य/पेय पदार्थ ग्लूकोज–डी खरीद के पक्के बिल प्रस्तुत किए है। तथा अनावेदक सख्या 4 ने अनावेदक संख्या 5 से खाद्य/पेय पदार्थ ग्लूकोज–डी खरीद के पक्के बिल प्रस्तुत किए है। अनावेदक संख्या 5 निर्माता फर्म है। अतः प्रकरण में खाद्य/पेय पदार्थ ग्लूकोज–डी के मिसब्रान्ड पाये जाने की स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अनावेदक संख्या–5 श्रीमती सुमित्रा अग्रवाल, मै0 रेफेलाईट इण्डस्ट्रीज, एच 1–825 रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया सीतापुरा, जिला जयपुर को धारा 26 की उपधारा (2) (II) को दोषी मानकर प्रकरण में अनावेदक को 30,000/– तीस हजार रूपये अर्थदण्ड/ जुर्माने से दण्डित किया जाता है। उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित बजट मद में 15 दिवस में जरिये चालान बैंक में जमा कराकर चालन की एक [illegible] करें। आदेश की एक प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुंझुनू को भिजवाये। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम हो तथा बाद तकमील शामिल दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.04.08 18:18:47 IST
Reason: SelfAttested

अति.जिला कलक्टर,
झुंझुनू